



बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड पटना-15

पत्रांक- BHRC/लेखा 15/20-21..... पटना, दिनांक.....2022

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना ।

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव,
गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना ।

विषय : बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के अनावश्यक एवं अनुपयोगी पुराने फर्नीचर एवं उपस्करों की नीलामी की सूचना प्रकाशित करने के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के अनावश्यक एवं अनुपयोगी पुराने फर्नीचर एवं उपस्करों की विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदहवें) कार्यदिवस को सार्वजनिक नीलामी निर्धारित की गई है। इस नीलामी की सूचना राज्य के प्रमुख (हिन्दी/ उर्दू/ अंग्रेजी) दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ पाँच (05) प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना को राज्य के प्रमुख (हिन्दी/ उर्दू/ अंग्रेजी) दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय। संलग्न सूचना कुर्ती देव 010 में अंकित है।

अनुलग्नक: सूचना पाँच मूल प्रतियों (सी0डी0 सहित) में।

विश्वासभाजन

ह0/-

पुलिस अधीक्षक

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

ज्ञापांक- BHRC/ लेखा 15/20-21.....

पटना, दिनांक.....2022

प्रतिलिपि: सचिव कोषांग, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

पुलिस अधीक्षक

ज्ञापांक- BHRC/ लेखा 15/20-21.10312.....

पटना, दिनांक 22/06/2022

प्रतिलिपि: सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक

आवश्यक सूचना

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना 15

निदेशानुसार बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के अनावश्यक एवं अनुपयोगी पुराने फर्नीचर एवं उपस्कर की नीलामी अंकित न्यूनतम राशि के अनुसार बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के कार्यालय परिसर में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 14वें (चौदहवें) कार्यदिवस को सार्वजनिक नीलामी के आधार पर की जायेगी।

- (1) रद्दीकरण हेतु सामग्रियों की सूची एवं न्यूनतम मूल्य आयोग के वेबसाईट एवं सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।
- (2) नीलामी में केवल वे ही व्यक्ति भाग लेने तथा डाक बोलने के हकदार होंगे, जिनके द्वारा ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) रु0 जमानत/प्रतिभूति राशि के रुप में बैंक ड्राफ्ट उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के नाम से कार्यालय में नीलामी की तिथि से एक (01) दिन पूर्व जमा किया जायेगा।
- (3) नीलामी में डाक की रकम पर नियमानुसार GST तथा अन्य कर भी अदा करना होगा।
- (4) नीलामी में सफल डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाक वक्ताओं की प्रतिभूति की राशि डाक समाप्ति के पश्चात् उसी दिन लौटा दी जायेगी।
- (5) बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को बिना कारण बताए डाक को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (6) किसी कारणवश नीलामी की प्रक्रिया उक्त तिथि को पूर्ण न होने के स्थिति में अगले कार्यदिवसों को सम्पन्न की जायेगी।
- (7) नीलामी के दिन सबसे अधिक बोली करने वाले बोलीकर्ता को बोली गई राशि का 25% बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक द्वारा जमा करना होगा।

पुलिस अधीक्षक

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

नोट: विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट: bhrc.bihar.gov.in पर भी संबंधित सूचना को देखा जा सकता है।